न्यायालय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा

आँगनबाड़ी वाद संख्या–75/2018

सोनी कुमारी

बनाम

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुरलीगंज एवं अन्य

–: आदेश :–

श्रीमती सोनी कुमारी, पति–श्री अरविन्द कुमार, सा0–तमौट परसा, वार्ड नं0–06, थाना–मुरलीगंज द्वारा प्रखण्ड मुरलीगंज के ग्राम पंचायत–तमौट परसा आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–138 पर सेविका चयन के विरुद्ध वाद दाखिल किया गया। दाखिल वाद के आलोक में सभी पक्षों को सुनवाई में उपस्थित होने का नोटिस किया गया। तदोपरान्त विभिन्न तिथियों में सुनवाई करते हुए वाद आदेशार्थ रखा गया।

वादी श्रीमती सोनी कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविका चयन हेतु कुल 13 (तेरह) आवेदन समर्पित किया गया। मेधा सूची तैयार करने के बाद कमशः 1. कुसमीत कुमारी 2. नूतन कुमारी 3. संजू कुमारी (प्रतिवादी सं0–2) 4. कल्पना देवी 5. सुमन श्री 6. सोनी कुमारी (आवेदिका) 7. रंजन कुमारी 8. सुमन कुमारी 9. खुशबंु कुमारी 10. डेजी कुमारी 11. टीना कुमारी 12. कुमारी चाँदनी तथा 13. प्रियंका कुमारी का नाम आया। प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसार वादी का नाम मेधा सूची के कमांक–4 पर अंकित होना चाहिए था, क्योंकि कमांक–4 की कल्पना देवी को 59% तथा कमांक–5 की सुमन श्री को 57.14 % मेधा अंक है तथा वादी को 59. 28% मेधा अंक है। दिनांक–25.10.16 को पंचायत भवन के प्रांगण में आमसभा आहुत की गयी, जिसमें मेधा सूची के कमांक–1 पर अंकित कुसमीत कुमारी का चयन सेविका पद पर करते हुए चयन पत्र निर्गत किया गया। उसके बाद विपक्षी द्वितीय पक्ष संजू कुमारी द्वारा आपत्ति दिया गया कि चयनित सेविका कुसमीत कुमारी का मध्यमा का अंक पत्र फर्जी है। जिसकी जाँच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा बिहार संस्कृत बोर्ड, पटना से कराया गया तथा प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। जिसके आधार पर कुसमीत कुमारी का चयन आयोग्य घोषित किया गया। मेधा सूची के कमांक–2 पर अंकित अभ्यर्थी श्रीमती नूतन कुमारी द्वारा सेविका पद पर अपना दावा वापस ले लिया गया, क्योंकि उनका भी अंक पत्र फर्जी था। उसके बाद कमांक–3 पर अंकित प्रतिवादी सं0–2 संजू कुमारी ने अपना चयन अवैध ढ़ंग से वास्तविकता को छिपाकर सेविका पद पर करवा लिया। वार्ड के किसी सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं है। कार्यवाही पंजी के अवलोकन से भी यह तथ्य सामने आता है कि आमसभा की तिथि के हस्ताक्षर में ओभर राइटिंग है, जो संदेह उत्पन्न करता है कि संजू कुमारी (प्रतिवादी सं0–2) का चयन अवैध ढ़ंग से किया गया है। प्रतिवादी सं0–2 संजू कुमारी ने वर्ष 2007 ई0 में के0एल0एस0पी0कॉम उच्च विद्यालय, परवाहा से मध्यमा की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की थी, जिसमें कोड सं0–3110, कमांक–582, तथा जन्म तिथि 13.03.1989 अंकित है। उसके बाद संजू कुमारी ने वर्ष 2015 में पुनः उसी विद्यालय से मध्यमा की परीक्षा दी जिसमें उसका कोड 3103, कमांक–137, तथा जन्म तिथि–13.03.1992 अंकित है तथा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है। वर्ष 2007 की परीक्षा में संजू कुमारी ने पिता का नाम विशो प्रसाद यादव तथा वर्ष 2015 की परीक्षा में पिता का नाम विशेश्वर यादव अंकित है। विशो प्रसाद यादव तथा विशेश्वर यादव दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। वर्ष 2016 के मतदाता सूची में कम सं0–513 पर विशेश्वर यादव अंकित है तथा कम सं0–518 पर उनके पुत्र सलेन यादव का नाम अंकित है जिसमें पिता का नाम विशो यादव है। प्रतिवादी सं0–2 संजू कुमारी का वर्ष 2007 में जन्म तिथि–13.03.89 तथा वर्ष 2015 में जन्म तिथि 13.03.1992 है तथा जन्म तिथि में 3 वर्ष का अन्तर है। वर्ष 2007 में द्वितीय श्रेणी में तथा वर्ष 2015 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है। आमसभा में संजू कुमारी (प्रतिवादी सं0–2) द्वारा वर्ष 2007 की परीक्षा की बात को छिपाकर वर्ष 2015 की परीक्षा का अंक पत्र देकर सेविका चयन करवायी, जो

Labi

विधि विरुद्ध है। उनका वर्ष 2007 का परीक्षाफल मान्य होगा तथा वर्ष 2015 में दी गयी परीक्षाफल रद्द होने योग्य है। प्रतिवादी संजू कुमारी द्वारा फर्जी परीक्षाफल का उपयोग नहीं किया जाता तो मेघा सूची में वादी का नाम मेघा कमांक-3 पर रहता तथा प्रतिवादी के प्राप्तांक से वादी का प्राप्तांक अधिक रहता। उपर्युक्त आधार पर वादी द्वारा प्रतिवादी सं0-2 श्रीमती संजू कुमारी को सेविका पद से चयनमुक्त करते हुए अपने चयन का अनुरोध किया गया है।

वादी द्वारा साक्ष्य स्वरुप प्रतिवादी के वर्ष 2007 एवं 2015 का अंक पत्र की छाया प्रति, मेघा सूची की छाया प्रति, पंचायत आम निर्वाचन नामावली 2016 (प्रखण्ड धैलाढ़, पंचायत-श्रीनगर) की छायाप्रति, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के न्यायालय से आँगनबाड़ी वाद सं0-10/2016 रेशमा कुमारी बनाम फुल कुमारी में पारित आदेश की छाया प्रति एवं बिहार संस्कृत बोर्ड को दिये गये आवेदन जिसे प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रसारित किया गया है, की छायाप्रति संलग्न की गयी है।

प्रतिवादी सं0-2 श्रीमती संजू कुमारी, पति-श्री उमेश कुमार, सा0-तमौट परसा, वार्ड नं0-06, थाना-मुरलीगंज के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि वादी श्रीमती सोनी कुमारी को वाद लाने का कोई मूल कारण प्राप्त नहीं है तथा वाद खारिज होने लायक है तथा दाखिल वाद कालबाधित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका में दिये गये आधारों के अनुरुप वादी सही उम्मीदवार नहीं है। वादी श्रीमती सोनी कुमारी के योग्य उम्मीदवार नहीं होने के कारण उनका चयन नहीं किया गया तथा प्रतिवादी के योग्य उम्मीदवार होने के कारण उनका चयन नियमतः एवं मार्गदर्शिका के अनुसार हुआ है। साथ ही पूरी चयन प्रकिया पारदर्शी है। मेघा सूची के क0सं0-01 की उम्मीदवार कुसमीत कुमारी के अयोग्य होने के कारण तथा कमांक-2 की उम्मीदवार नूतन कुमारी के दावा वापस लेने के पश्चात् मेघा कमांक-3 पर स्थित प्रतिवादी सं0-3 संजू कुमारी (मेघा अंक 62.57%) को अन्य शेष बचे सभी उम्मीदवारों से सर्वोच्च मेघा अंक रहने के कारण सर्वसम्मति से चयनित हुई। प्रतिवादी का जन्म तिथि के संदर्भ में कथन है कि इनकी जन्म तिथि 13.03.1992 है, पिता का नाम विशो प्रसाद यादव उर्फ विशेश्वर यादव है। प्रतिवादी द्वारा कभी भी कोई गलत व फर्जी कार्य नहीं किया गया है। संजू कुमारी ने अपने नामांकन में अपनी जन्म तिथि 13.03.92 दिया था, परन्तु संबंधित विद्यालय के कार्यालय के भूलवश जन्म तिथि 13.03.1989 दर्ज हुआ। परन्तु जैसे ही विपक्षी संजू कुमारी को पता चला तो विपक्षी संजू कुमारी ने सचि, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड,पटना को आवेदन दिया जन्म तिथि में सुधार किये जाने के लिए, जिसे संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक-15.08.2007 को अग्रसारित भी किया गया था। प्रधानाध्यापक ने अपने अग्रसारण में स्पष्ट किया कि भूलवश जन्म तिथि 13.03.1992 की जगह 13.03.1989 हो गया है, जो गलत है सही जन्म तिथि 13.03.1992 है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0-2 द्वारा कोई जाल-फरेब नहीं किया गया है। बल्कि वह एक कार्यालय भूल है, जिसके सुधार हेतु आवेदन दिया जा चुका है। प्रतिवादी द्वारा अनुमति प्राप्त कर अपना परीक्षाफल सुधार किये जाने हेतु पुनः वर्ष 2015 में मध्यमा की परीक्षा दी और वह प्रथम श्रेणी में उर्त्तीण हुई है। सभी प्रकियाएँ नियमतः एवं वैधिक है। परीक्षाफल सुधार हेतु पुनः परीक्षा दिया जाना गलत नहीं है। उपर्युक्त आधार पर वादी का वाद खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी सं0-2 द्वारा साक्ष्य के रुप में खुशीलाल संस्कृत उच्च विद्यालय परवाहा के प्रवेश पंजी, जिस पर प्रधानाध्यापक का अग्रसारण किया हुआ है कि छाया प्रति, सचिव, बिहार संस्कृत बोर्ड पटना को दिये गये आवेदन की छाया प्रति, मेघा सूची की छाया प्रति, चयन पत्र की छाया प्रति, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा को आदेश ज्ञापांक-1027, दिनांक-16.10.17 की छाया प्रति, अष्टम् का स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गयी है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुरलीगंज के पत्रांक-25, दिनांक-10.01.19 द्वारा प्रश्नगत केन्द्र (ग्राम पंचायत-तमौट परसा, वार्ड नं0-06) के सेविका/सहायिका चयन से संबंधित अभिप्रमाणित अभिलेख की छाया प्रति समर्पित किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध कराये गये कागजातों का अवलोकन किया । जिससे ज्ञात हुआ कि प्रखण्ड-मुरलीगंज, ग्राम पंचायत- तमौट परसा, वार्ड नं0-06 के सेकिवा चयन हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर मेघा सूची बनायी गयी। प्रथम स्थान की अभ्यर्थी

का प्रमाण पत्र सत्यापनोपरान्त फर्जी पाये जाने पर उसे अयोग्य घोषित करार दिया गया। मेघा सूची के दूसरे कम की अभ्यर्थी द्वारा अपना दावा वापस लेने के बाद मेघा कमांक-3 पर स्थित प्रतिवादी सं0-2 संजू कुमारी का चयन सेविका पद पर किया गया। तत्पश्चात् वादी द्वारा चयनित सेविका (प्रतिवादी सं0-2) के विरुद्ध आरोप दाखिल किया गया कि प्रतिवादी सं0-2 संजू कुमारी एक ही विद्यालय से मध्यमा की परीक्षा वर्ष 2007 एवं 2015 में अलग-अलग पंजीयन सं0 से दी है, जिसमें पिता का नाम एवं जन्म तिथि भिन्न है। वर्ष 2007 के अंक पत्र में पिता का नाम विशों प्रसाद यादव तथा वर्ष 2015 के अंक पत्र में पिता का नाम विशेश्वर यादव है। प्रथम बार वर्ष 2007 में जन्म तिथि 13.03.1989 है, जबकि वर्ष 2015 में जन्म तिथि 13.03.1992 है। प्रथम परीक्षा में द्वितीय श्रेणी से उर्त्तीण है तथा वर्ष 2015 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उर्त्तीणता है तथा वर्ष 2015 का अंक पत्र ही प्रतिवादी सं0-2 के चयन का आधार है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0-2 ने एक ही विद्यालय से वर्ष 2007 एवं 2015 में दो भिन्न पंजीयन सं0, दो अलग-अलग जन्म तिथि एवं पिता के नाम में भी भिन्नता कर उर्त्तीणता हासिल की गयी। साथ ही आमसभा में भी इन बातों को छिपाया गया, जो कार्यवाही पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है।

उक्त संदर्भ में प्रतिवादी सं0-2 का कथन है कि सचिव, बिहार संस्कृत बोर्ड, पटना को जन्म तिथि में सुधार करने का आवेदन प्रधानाध्यापक से अग्रसारित कराकर दिया गया था, परन्तु जन्म तिथि में किये गये सुधार संबंधी अंक पत्र समर्पित नहीं किया गया। न ही पिता के नाम में सुधार का आवेदन साक्ष्य के रुप में लगाया गया, जो मामले को संदेहास्पद बनाता है।

दोनों प्रमाण पत्र में इतनी विसंगतियाँ होने के कारण प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। प्रतिवादी संजू कुमारी द्वारा संस्कृत बोर्ड से वर्ष 2007 एवं वर्ष 2015 में दो बार मध्यमा की परीक्षा में सम्मिलित हुई और उर्त्तीणता हासिल की, दोनों प्रमाण पत्र में पिता के नाम में एवं जन्म तिथि में भी अन्तर है। जबकि एक ही बोर्ड से पिता का नाम बदलकर तथा जन्म तिथि बदलकर, दो अलग पंजीयन संव के साथ उर्त्तीणता हासिल करना नियमसंगत नहीं है। गलत सूचना अंकित कर एक ही बोर्ड से दो बार अलग अलग जन्मतिथि एवं अलग अलग पिता के नाम से उर्त्तीणता हासिल करना संज्ञेय अपराध है। साथ ही वादी द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि भी करता है।

अतएव प्रतिवादी सं0-2 श्रीमती संजू कुमारी का चयन रद्द किया जाता है तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुरलीगंज को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत केन्द्र की सेविका चयन हेतु मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अधीन नियमानुसार एक पक्ष के अन्दर योग्य अभ्यर्थी के चयन की कार्रवाई की जाय। साथ ही दोषी के विरुद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई भी की जाय।

आदेश की प्रति संबंधितों को दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

Lady 10/7

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा।

Lady 10/7

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा।

डी0बी0सं0....82...../ दिनांक....10/07/2019

प्रतिलिपिः- श्रीमती सोनी कुमारी, पति-श्री अरविन्द कुमार/ प्रतिवादी सं0-2 श्रीमती संजू कुमारी, पति-श्री उमेश कुमार, दोनों सा0-तमौट परसा, वार्ड नं0-06, थाना-मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Lady 10/7

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा।